भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2112

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग धोखा-धड़ी

2112. श्री रामदास तडसः

श्री संगम लाल गुप्ताः

श्री भोलेनाथ (बी.पी. सरोज)

श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) को 2500 करोड़ रु. के कार्वी घोटाले के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार/एसईबीआई की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार/एसईबीआई को मैसर्स कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट के खिलाफ लाभार्थी के खातों में शेयरों के कथित अवैध अंतरण और शेयरधारक की मृत्यु के बाद वास्तविक लाभार्थी को राशि का अंतरण नहीं करने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/एसईबीआई मैसर्स कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के अवैध संचालन के खिलाफ जांच और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनएसई प्रबंधन और कार्वी प्रबंधन के विरुद्ध सेबी की क्या योजना हौ और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त राज्य मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी हां,

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग प्रा.लि. (केएसबीएल) के निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया कि 95,000 से अधिक ग्राहकों के (लगभग) 2300 करोड़ रु. मूल्य की प्रतिभूतियां बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीयन कंपनियों (एनबीएफसी) के पास बंधक के रूप में हैं।

सेबी ने दिनांक 22 नवंबर, 2019 को केएसबीएल के मामले में एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया। इस आदेश के अनुसरण में, 2,000 करोड़ रु. (लगभग) मूल्य के 82,559 ग्राहकों से जुड़ी प्रतिभूतियों को केएसबीएल

के संबंधित ग्राहकों, जिन्हें पूर्ण रूप से भुगतान किया जा चुका है, को अंतरित किया गया हैं। इस अंतरिम आदेश की पुष्टि सेबी द्वारा दिनांक 24 नवंबर, 2020 के आदेश के माध्यम से की गई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने 23 नवंबर, 2020 को केएसबीएल को दोषी करार दिया और शेयर बाजार के उप-नियमों के अनुसार दावे किए।

22 नवंबर, 2019 से 22 नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान 2,32,323 ग्राहकों की कुल 125.20 करोड़ रु. की निधियां और 1,57,769 ग्राहकों के कुल 2345.82 करोड़ रु. की प्रतिभूतियों का निपटान कर लिया गया। इसके अतिरिक्त 19 फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार शेयर बाजार के उप-नियमों के अनुसार एनएसई की निवेशक सुरक्षा निधि (आईपीएफ) के 3398 ग्राहकों को 81 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया।

(ख): जी हां,

निधियों के भुगतान/शेयरों की डिलीवरी के प्राप्त न होने के संबंध में केएसबीएल के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इनमें से कुछ शिकायतें इस प्रकृति की पाई गई थीं जिनमें कि लाभार्थी के खाते में शेयरों का कथित अवैध अंतरण और शेयर धारक की मृत्यु के बाद वास्तविक लाभार्थी को धन का अंतरण न करने जैसी घटनाएं शामिल थीं। ऐसी सभी शिकायतें समाधान हेतु एनएसई को अग्रेषित कर दी गई हैं।

(ग): जी हां,

(घ): सेबी ने दिनांक 22 नवंबर, 2019 को केएसबीएल के मामले में एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया। इस अंतरिम आदेश की पुष्टि सेबी द्वारा 24 नवंबर, 2020 के आदेश के तहत की गई।

सेबी ने ब्रोकरों की निगरानी और सदस्यों की चौकसी से संबधित सेबी परिपत्रों के प्रावधानों का उल्लंघन करने हेतु केएसबीएल के मामले में एनएसई के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसके अतिरिक्त, सेबी ने सेबी अधिनिमय, 1992 प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956, सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबधित कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 और सेबी (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार, केएसबीएल के निदेशकों और मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के विरुद्ध पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

*****